अध्यक्ष महोदय

दिनांक 19.7.89 को हुयी मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकर[illegible] की बैठक का कार्यवृत्त सम्मुख आपके अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

सचिव।

उपाध्यक्ष।

Secy

मसूरी-देहरादून विकास प्राधि[illegible]
अधिकारियों की उपस्थिति [illegible]

- श्री एल०एस०पांगती, आयुक्त/[illegible]
- श्री प्रताप सिंह, उपाध्यक्ष, म[illegible]
- श्री सुधीर कुमार, जिलाधिका[illegible]
- श्री श्यामकृष्ण, विशेष कार्या[illegible]
- श्री जोत सिंह, अध्यक्ष, नगरप[illegible]
- श्री दीनानाथ सलूजा, अध्यक्ष[illegible]
- श्री पी०के०पाण्डे, अधी०अभि[illegible]

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 19-7-89 में अधिकारियों की उपस्थिति :-

- श्री एस०एस०पांगती, आयुक्त/अध्यक्ष ।
- श्री प्रताप सिंह, उपाध्यक्ष, म०दे०वि०प्रा० ।
- श्री सुधीर कुमार, जिलाधिकारी, देहरादून । 19.7
- श्री श्यामकृष्ण, विशेष कार्याधिकारी, वित्त, लखनऊ ।
- श्री जोत सिंह, अध्यक्ष, नगरपालिका, मसूरी ।
- श्री दीनानाथ सलूजा, अध्यक्ष, न०पा०, देहरादून ।
- श्री पी०के०पाण्डे, अधी०अभि०, उ०प्र०जल निगम ।

- [illegible]

- [illegible]

(डा.) सुनील सैनन, [illegible], मसूरी तिवारी, [illegible]

1- सुधीर [illegible] [illegible] देहरादून

2- के. एल. साह सहायक निदेशक पर्यटन मसूरी प्रतिनिधि निदेशक पर्यटन उत्तर प्रदेश 19/7

3 पी. के. शर्मा अधीक्षण अभियन्ता लो.नि.वि. देहरादून

4. [illegible] सहायक नियोजक प्रतिनिधि नगर एवं ग्राम नियोजक विभाग. उ.प्र. 19.7.89

15. प्रोफेसर पी० आर० सिंह निदेशक, पर्यावरण 19/7/89

16 [illegible]

17- डा० एम० ए० ए० खान, अपर जिलाधिकारी, देहरादून →

ी-देहरादून विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 19.7.89 में सदस्यों/
धिकारियों की उपस्थिति:-

स्थिति:-

श्री एस०एस०पांगती	आयुक्त/अध्यक्ष
श्री प्रताप सिंह	उपाध्यक्ष
श्री सुधीर कुमार, जिलाधिकारी, देहरादून	सदस्य
श्री श्याम कृष्ण विशेष ~~0000~~ कार्याधिकारी, उ०प्र० शासन, वित्त विभाग, लखनऊ	सदस्य
श्री जोत सिंह, अध्यक्ष, नगरपालिका, मसूरी	सदस्य
श्री दीनानाथ सलूजा, अध्यक्ष, नगरपालिका, देहरादून।	सदस्य
श्री सुधीर चन्दोला महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, देहरादून	सदस्य
श्री पी०के०पाण्डे, अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, देहरादून	सदस्य
प्रो० पी०आर०सिंह, निदेशक, पर्यावरण, देहरादून।	सदस्य
श्री आर०आर०थापा, वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून।	सदस्य
श्री पी०के०शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता, ~~उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद~~ सा० नि० वि०, देहरादून	सदस्य
श्री के०एल०साह, ~~निदेशक~~ सहायक निदेशक, पर्यटन मसूरी	सदस्य

य उपस्थिति:-

डा० सुनील सैनन, विशेष आमंत्रित
श्री बृज बी०रतन, सहयुक्त नियोजक, गढ़वाल सम्भाग।
श्री यू०डी०चौबे, सचिव, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
श्री पी०पी०त्यागी, सहायक अभियन्ता, उप्र राज्य विद्युत परिषद, देहरादून।
डा० एम०एस०खान, अपर जिलाधिकारी (प्र०), देहरादून।

विषय क्रमांक:-1:-

आज की बैठक में सर्व-प्रथम देहरादून के नये जिलाधिकारी श्री सुधीर कुमार का स्वागत करते हुये बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। पिछली बैठक दिनांक 15.5.89 का कार्यवृत्त पढ़ा गया। उसमें विषय क्रमांक-5 में लिये गये निर्णय में सहायक निदेशक पर्यटन की आपत्ति पर विचार करते हुये यह निर्णय लिया गया कि सहस्त्रधारा में प्रस्तावित सौन्दर्यीकरण योजना के क्रिन्यावयन से प्रभावित हो रही दुकानों को पर्यटक विश्राम गृह की खाली भूमि में शिफ्ट करने के बजाय उस जगह पर शिफ्ट किया जाय जहां प्राधिकरण द्वारा दूकानों का निर्माण बाद में किया जाना प्रस्तावित है। इस संशोधन के साथ बैठक की कार्यवाही इष्ट की गयी।

पिछली बैठक के निर्णयों की अनुपालन आख्या पढ़ी गयी। इस बात र खेद प्रकट किया गया कि विद्युत परिषद द्वारा ग्रीष्म काल में मसूरी में हो स्वीकृत~~अनधिकृत~~ निर्माणों तथा अनधिकृत घोषित निर्माणों के बिजली के कनैक्शन हीं काटे गये है जिसके फलस्वरूप जल संस्थान द्वारा पेय जल कनैक्शन विच्छेदित किये जाने के बावजूद भी निर्माण कार्य जारी रहे। उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सहायक अभियन्ता श्री पी0पी0त्यागी ने यह आश्वासन दिया कि अब यह क्या अपनाई जा रही है कि किसी भी निर्माण को बिजली का कनैक्शन देने से प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र प्रस्तुत करने को कहाजा रहा है और जो ग स्वीकृत मानचित्र प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं उन्हें बिजली का कनैक्शन नहीं दिया येगा। इस बात पर पुन: जोर दिया गया कि प्राधिकरण द्वारा जो निर्माण धिकृत घोषित कर दिये जाते हैं, उनका भी पेय जल व विद्युत कनैक्शन विच्छेदित दिया जाय। ऐसे निर्माणों की सूची जल संस्थान व उ0प्र0 राज्य विद्युत रिषद को भेजी जाय व भविष्य में जिन मामलों में अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त ने के आदेश पारित होते हैं उनकी एक प्रति भी इन विभागों को भेजी जाय।

॥कार्यवाही सचिव॥

पिछली बैठक के निर्णयों के अनुपालन के संदर्भ में सहयुक्त नियोजक ने नगंज ॥मसूरी॥ में प्राधिकरण की आवासीय योजना पर आपत्ति प्रकट की। का यह कहना था कि यह भाग देहरादून की ओर पड़ता है और इसमें काफी

है। इसलिये उनकी राय में इस स्थान पर आवासीय योजना के बजाय
के वर्तमान स्वरूप को खुला रखना अधिक उपयुक्त होगा। अध्यक्ष नगरपालिका
री ने इस बात की ओर ध्यान आकृर्षित किया कि मसूरी में अल्प आय वर्ग
मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों की आवासीय समस्या का समाधान करने के
लये यह आवश्यक है कि प्राधिकरण द्वारा उनके लिये आवासीय योजना बनाई
ाय और इस स्थल के अलावा अन्य कोई स्थल उपलब्ध नहीं है। उन्होंने यह
ी बताया कि काफी समय से इस आवासीय योजना की बातचीत होते रहने
मसूरी के लोगों की आशायें जागृत हो गयी है और इस आवासीय योजना
और अधिक बिलम्ब उचित नहीं होगा।

सर्व-सम्मति से पुन: यह निर्णय लिया गया कि इस योजना को चलने
दयाजाय परन्तु इसका ले-आऊट तैयार करते समय यह बात ध्यान में रखी जाय
क पेड़ों को कोई क्षति न पहुँचे और निर्माण टैरेसेस में इस प्रकार हो जिससे कि
ा क्षेत्र के सौन्दर्य में कोई प्रभाव न पड़े।

॥कार्यवाही सहयुक्त नियोजक॥

वर्षय क्रमांक:-2:-

वर्ष 1988-89 के मानचित्र निस्तारण एवं वाद निस्तारण की प्रगति विवरण:-

मानचित्रों के निस्तारण की प्रगति पर संतोष प्रकट किया गया परन्तु
निर्देश दिये गये कि अगली बैठक में उन मानचित्रों का विवरण प्रस्तुत किया
ाय जाय जो सीलिंग विभाग से निर्धारित समय के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण
प्राप्त न होने के कारण स्वीकृत किये जाते हैं ताकि यह पता लग सके कि
लिंग विभाग द्वारा कितने मामलों में उत्तर भेजने में बिलम्ब किया गया है।

॥कार्यवाही सचिव॥

अनधिकृत निर्माणों के अवशेष वादों के शीघ्र निस्तारण पर बल दिया
ा।

॥कार्यवाही सचिव॥

...द है क्रमांक:-03:-

डालनवाला आवासीय कालोनी में अवर जलाशय व नलकूप का निर्माण।

यह बताया गया कि जलाशय व नलकूप के निर्माण का लगभग 50% कार्य हो चुका है और यह बताया गया कि अवशेष कार्य सितम्बर, 1989 तक पूर्ण हो जायेगा। अत: यह निर्णय हुआ कि शेष धनराशि दो किश्तों में अवमुक्त कर दी जाय।

॥कार्यवाही सचिव॥

यहां पर विद्युत सब स्टेशन की स्थापना की दिशा में की जा रही कार्यवाही की गति धीमी पाई गई जब कि आवश्यक धनराशि काफी समय पूर्व दी जा चुकी है। राज्य विद्युत परिषद के सहायक अभियन्ता श्री पी0पी0त्यागी ने अपने उच्चाधिकारियों से टेलीफोन पर सम्पर्क करने के उपरान्त बताया कि सब स्टेशन की स्थापना तीन माह में हो जायेगी। अधीक्षण अभियन्ता जल निगम ने भी आश्वासन दिया कि पेयजल सम्बन्धी कार्य भी सितम्बर, 1989 के अन्त तक पूर्ण हो जायेंगें।

॥कार्यवाही उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद
॥व उ0प्र0 जल निगम॥देहरादून॥

विषय-क्रमांक:-049:-

विकास शुल्क की बढ़ोत्तरी।

मसूरी में किये जा रहे विकास कार्यों की अधिक लागत को देखते हुये सर्व-सम्मति से निर्णय हुआ कि मसूरी में होटलों व्यावसायिक व बड़े-बड़े आवासीय निर्माणों के विकास शुल्क की दरें निम्नलिखित होंगी:-

1- 150 वर्ग मीटर प्लौट एरिया तक के आवासीय निर्माण हेतु - 5/- प्रति वर्ग मीटर। प्लॉट एरिया

2- 150 से 500 वर्ग मीटर तक प्लौट एरिया के आवासीय निर्माण हेतु - 20/- प्रति वर्ग मीटर। प्लॉट एरिया

3- 500 वर्ग मीटर प्लौट एरिया से अधिक आवासीय निर्माण हेतु - 30/- प्रति वर्ग मीटर। प्लॉट एरिया

4- व्यावसायिक कौटेजेज/होटल तथा शपिंग काम्पलैक्स के लिये विकास शुल्क की दर 50/- प्रति वर्ग मीटर प्लौट एरिया पर होगी।

5- देहरादून में भी व्यावसायिक भवनों के निर्माण हेतु विकास शुल्क की दर

30/-प्रति वर्ग मीटर प्लौट एरिया पर होगी।

विषय क्रमांक:-5:-

प्राधिकरण द्वारा आर्किटैक्ट्स/ड्रासमैन आदि को अनुज्ञा जारी किये जाने के संबंध में।

सर्व-सम्मति से/निर्णय हुआ कि लाईसैन्स के लिये निर्धारित वर्ष कलेण्डर ईयर माना जायेगा और कलेण्डर ईयर की समाप्ति से पूर्व नवीनीकरण न करने पर ड्राफ्टसमैन को 50/- प्रति माह की दरसेऔर आर्किटैक्ट्स को 100/- प्रति माह की दर से विलम्ब शुल्क देना होगा।

विषय क्रमांक:-6:-

श्री बी०एम०बंसल, श्रीमती जगजीत कौर एवं श्रीमती इन्दिरा नारंग द्वारा प्लाजा हिमालय व्यू, 75 राजपुर रोड़ देहरादून में प्रस्तावित शापिंग काम्पलैक्स निर्माण के मानचित्र के सम्बन्ध में।

आवेदकों द्वारा प्रस्तुत मानचित्र का अवलोकन किया गया। राजपुर रोड़ पर व्यावसायिक निर्माण की स्वीकृति पर अध्यक्ष, नगरपालिका देहरादून तथा अधीक्षण अभियन्ता, सा०नि०वि०, देहरादून ने विरोध किया परन्तु अन्य सदस्यों का सामान्य मत था कि वर्तमान व्यावसायिक क्षेत्र में और अधिक भीड़-भीड़ से बचने तथा अनियंत्रित दुकानों के निर्माण को रोकने के लिये यह आवश्यक है कि सुनियोजित रूप से शापिंग काम्पलैक्सों का निर्माण हो, जिसमें कार पार्किंग सैट बैक आदि की सुविधा उपलब्ध हो। यह भी बताया गया कि राजपुर रोड़, पर स्थित आर०टी०ओ० कार्यालय तक के भाग को व्यावसायिक उपयोग में परिवर्तन हेतु प्राधिकरण द्वारा पहले ही निर्णय लिया जा चुका है और परिवर्तन शुल्क लेकर यहां कतिपय व्यावसायिक निर्माण पहले स्वीकृत भी हुये हैं तथा जिस स्थल पर यह शापिंग काम्पलैक्स प्रस्तावित है उसके आस-पास पहले से ही कुछ व्यावसायिक भवन स्थित है। मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि दुकानों की संख्या बहुत अधिक है और पार्किंग स्पेश पर्याप्त नहीं है तथा सामने की तरफ पूरा छोड़ कर पीछे की तरफ व बीच में भी छोड़ा गया है जो उचित नहीं है। इसके अलावा सड़क से दूरी भी कुछ अधिक छोड़नी होगी। अत: सर्व-सम्मति से निर्णय हुआ कि इस स्थल का निरीक्षण अधीक्षण अभियन्ता, सा०नि०

वि0 (या उनके द्वारानामित अधिकारी) व सहयुक्त नियोजक द्वारा किया जाय और वे उपरोक्त के परिपेक्ष्य में मानचित्र में संशोधन प्रस्तावित करते हुये अपनी आख्या उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत करेंगे।

(कार्यवाही अधीक्षण अभियन्ता, सा0नि0
(वि0 व सहयुक्त नियोजक)

विषय क्रमांक:-7:-

श्री कुनचेम्प सेम्पा द्वारा सहस्त्रधारा में प्रस्तावित रेस्टोरेंट तथा रिक्रेशन भवन के मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

मानचित्र का अवलोकन करने के उपरान्त यह पाया गया कि इस स्थल पर तीन मंजिलों का निर्माण उपयुक्त नहीं है। इसके अलावा एफ0ए0आर0 भी अधिक है और प्रस्तावित निर्माण का एक भाग नदी के बहुत निकट है। अत: सर्व-सम्मति से यह निर्णय हुआ कि सहस्त्रधारा में क्रियान्वित की जा रही सौन्द्रीयकरण योजना के परिपेक्ष्य में अधीक्षण अभियन्ता, सा0नि0वि0 (या उनके द्वारा नामित अधिकारी) व सहयुक्त नियोजक इस स्थल का निरीक्षण कर लें और मानचित्र में संशोधन तथा कवर्ड एरिया को कम करने के बारे में अपनी आख्या उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत करेंगे।

(कार्यवाही अधीक्षण अभियन्ता व
(सहयुक्त नियोजक)

विषय क्रमांक:-8:-

देहरादून महायोजना के ग्रामीण क्षेत्र में बन्दोबस्ती आबादी के 100 मीटर परिधि के अन्दर भवन निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

सहयुक्त नियोजक की इस आपत्ति पर विचार किया गया कि महायोजना में निर्धारित कृषि क्षेत्र में पड़ने वाले गावों में भवन निर्माण नहीं किये जा सकते हैं। इस पर सामान्य प्रतिक्रिया यह थी कि यदि गावों में नये मकानों के निर्माणों को रोका गया तो इससे गांवों में बढ़ती हुयी जनसंख्या की आवासीय समस्या का निराकरण नहीं हो सकेगा और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में असंतोष फैलेगा। यह भी बताया गया कि प्राधिकरण की दिनांक 17.12.84 की बैठक में पहले ही इस विषय पर निर्णय लिया जा चुका है।

अत: सर्वे-सम्मति से निर्णय हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र में तहसील का सर्टीफिकेट लिया जाय कि प्रस्तावित निर्माण बन्दोबस्ती आबादी के कितना निकट है और फिर उस सर्टीफिकेट का क्रास भैरी फिकेशन मास्टर प्लान से किया जाय। तहसील के सर्टीफिकेट में यह स्पष्ट रूप से अंकित होगा कि प्रस्तावित निर्माण स्थल गांव की बन्दोबस्ती आबादी से कितने मीटर दूरी पर है व किसी नये स्थान पर अनधिकृत प्लौटिंग का तो मामला नहीं है। केवल यह लिखना पर्याप्त नहीं होगा कि प्रस्तावित निर्माण स्थल 100 मीटर के अन्दर है। जिलाधिकारी तदनुसार निर्देश जारी करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के मामलों में तहसील के सर्टीफिकेट और मास्टर प्लान के क्रास भैरी फिकेशन करने के बाद प्रत्येक मामले में गुणावगुण के आधार पर मानचित्र स्वीकृत किया जा सकता है तथा संदेहजनक मामले में स्थल निरीक्षण के उपरान्त निर्णय लिया जाय ताकि यह पता लग सके कि कहीं बड़े भूभाग में अनधिकृत प्लौटिंग तो नहीं हो रही है।

॥कार्यवाही जिलाधिकारी/सचिव॥

विषय क्रमांक=9:-

विद्युत कनैक्शन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नीति निर्धारण।

सर्व-सम्मति से यह निर्णय हुआ कि आवासीय क्षेत्रों में आटा चक्की उद्योग हेतु 5 हॉर्स पावर तक तथा अन्य सेवा उद्योगों के लिये 2 हॉर्स पावर तक के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाय और व्यावसायिक क्षेत्रों में 10 हॉर्स पावर तक के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाय। अन्य मामलों में गुणावगुण के आधार पर परीक्षण कर समुचित निर्णय लिया जाय।

॥कार्यवाही सचिव॥

विषय क्रमांक:-10:-

मसूरी में महायोजना पर विचार।

आज की बैठक में भी अपरिहार्य कारणों से वरिष्ठ नियोजक श्री एच0के0 शर्मा उपस्थित नहीं हो सके। तथा उनका लिखित पत्र प्राप्त हुआ कि अष्टम पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में वे एक अति आवश्यक बैठक के लिये लखनऊ में व्यस्त है।

दिनांक 7.4.89 में हुई बैठक के निर्णयानुसार बनों की स्थिति का सहयुक्त नियोजक व उप वन संरक्षक मसूरी द्वारा संयुक्त सर्वे किया जाना था परन्तु सहयुक्त नियोजक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित महायोजना प्रारूप में निजी वन इस्टेट वन विभाग की सहायता से मार्क किये जाने की कार्यवाही पूरी नहीं हो सकी है क्योंकि कुछ ईस्टेटस की बाउण्ड्री का डिमारकेशन नहीं हो पाया और वन संरक्षक ने यह सुझाव दिया है कि वनों की वास्तविक स्थिति का सर्वेक्षण प्राधिकरण स्वयं अपने स्टाफ से कराये। सहयुक्त नियोजक ने बताया कि 218 प्रायवेट स्टेट्स में से केवल 15 स्टेटस ही महायोजना से प्रभावित है। विचारोपरान्त सर्व-सम्मति से निर्णय हुआ कि चूँकि निजी इस्टेट्स/प्राइवेट फौरेस्ट के रूप में वन विभाग द्वारा 1966 में ही प्राईवेट फौरेस्ट ऐक्ट के अन्तर्गत नोटीफाईड कराये गये हैं और तब उस समय वन विभाग द्वारा ही उनकी सीमाएं तै की गई थी और चूँकि बनों की सुरक्षा का सीधा संबंध वन विभाग में है अतः महायोजना में इनका सीमांकन कराने के उद्देश्य से वन विभाग को इन प्रायवेट इस्टेट्स का सर्वे कराना होगा और यह सीमांकन करना होगा कि इन इस्टेटस का कितना भाग पाईवेट फौरेस्ट नोटिफाईड है व कितने भाग में वास्तव में वन है व कितना भाग पूर्व निर्मित/विकसित है। इससे यह भाग चिन्हांकित हो सकेगा जो वन है व जिसे वन के रूप में विकसित करना है। वन संरक्षक यमुना वृत्त द्वारा बताया गया कि उनके पास सर्वे स्टफ की कमी है। विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि यह कार्य वन विभाग द्वारा ही किया जाना है और यदि स्टाफ की कमी है तो वे इसके लिये शासन स्तर पर वन विभाग के सचिव को पत्र भेजकर आवश्यक अवधि के लिये अस्थाई स्टाफ की व्यवस्था करने हेतु प्रस्ताव भेजे। महायोजना में निजी वन ईस्टेट्स से सम्बन्धित वनों के भाग को प्रदर्शित किया जाना अति आवश्यक हैऔर वन विभाग के सक्रिय सहयोग से ही यह कार्य संभव है।

॥कार्यवाही वन संरक्षक यमुना वृत व
॥सहयुक्त नियोजक॥

विषय क्रमांक:-11:-

ऐज केयर इण्डिया द्वारा बुद्ध सेवा सदन [ओल्ड ऐज होम] हेतु प्रस्तावित मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

ऐज केयर इण्डिया द्वारा प्रस्तावित मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में बैठक में विचारोपरान्त प्रस्तावित निर्माण पर सर्व-सम्मति से सहमति प्रकट की गयी। क्योंकि यह समाज कल्याण सम्बन्धी कार्य है। उपाध्यक्ष अपने स्तर पर सचिव द्वारा अन्य बिन्दुओं का परीक्षण व निराकरण कराने के उपरान्त स्वीकृति दे सकेंगे।

[कार्यवाही सचिव]

विषय क्रमांक:-12:-

प्राधिकरण बाजार में गढ़वाल मण्डलीय पत्रकार मंच रजि0 को कार्यालय हेतु एक दुकान आवंटित करने के सम्बन्ध में।

इस बिन्दु पर विचार किया गया और यह विनिश्चय दिया गया कि नियत किराये से कम किराये पर दुकान आवंटित ~~करना~~ किया जाना संभव नहीं है और नियत प्रीमियम एवम् नियत किराये पर ही दुकान आवंटित करने पर विचार किया जाय।

[कार्यवाही सचिव]

विषय क्रमांक:-13:-

आविष्कार कन्सट्रक्शन कम्पनी द्वारा ग्राम अधोईवाला [केवल विहार] में प्रस्तावित आवासीय तलपट मानचित्र के पूर्वानुमोदन के सम्बन्ध में।

इस कम्पनी द्वारा यह ले-आऊट के मानचित्र केवल विहार के पीछे की ओर प्रस्तावित किया गया है। पूर्व में इनके द्वारा केवल विहार कालोनी से नदी की ओर जमीन भूदान की बजह से केवल विहार कालोनी के भवनों की सुरक्षा को खतरा हो गया था परन्तु अब इसमें पुश्ता बनाने हेतु पक्षकारों के मध्य एग्रीमेंट हुआ है ~~परन्तु~~ प्राधिकरण द्वारा विचारोपरान्त यह विनिश्चय दिया गया कि मात्र एग्रीमेण्ट किया जाना पर्याप्त नहीं है, पुश्ते का पहले बन जाना जरूरी है व यह सुनिश्चित करने के लिये पुश्ते की सम्पूर्ण लागत के बराबर जमानत दाखिल किया जाना आवश्यक है। ~~इसके~~

~~अतिरिक्त सेक्योरिटी में दिये गये चैक~~

इसके अतिरिक्त ~~ब्लैक~~ड में दिये गये क्षेत्रफल व ले-आऊट में दिये गये क्षेत्रफल की भिन्नता का भी निराकरण आवश्यक है। यहक्षेत्र रिस्पना नदी के किनारे है, अत: सिंचाई विभाग से भी इस बिन्दु पर प्रमाण पत्र लेना होगा कि प्रस्तावित ले-आऊट का स्थल कहीं सम्भावित बाढ़ से प्रभावित तो नहीं होता है। इस कम्पनी द्वारा सहस्त्रधारा रोड़ व रायपुर रोड पर डील के पीछे प्लॉट्स की बिक्री का मामला भी उठाया गया।

सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्त सभी बिन्दुओं का तकनीकी दृष्टि से समुचित समाधान करने के उपरान्त उपाध्यक्ष इस मामले में स्वयं अंतिम निर्णय ले लें।

(कार्यवाही सहायक नगर नियोजक)

विषय क्रमांक:-14:-

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की अकेन्द्रीयत सेवा नियमावली।

शासन द्वारा सभी विकास प्राधिकरणों से यह अपेक्षा की गयी है कि वे अपने-अपने विकास प्राधिकरण के लिये अकेन्द्रीयत सेवा नियमावली तैयार करें और उसे अनुमोदन हेतु शासन को प्रेषित करें। इसी क्रम में इस विकास प्राधिकरण द्वारा मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण अकेन्द्रीयत सेवा नियमावली 1989 का प्रारूप प्रस्तुत किया गया जिस पर विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये गये:-

1- पदोन्नति के संबंध में नियम पृथक से एक अनुसूची में दिये गये है जबकि नियमावली में इस अनुसूची का जिक्र नहीं है। अत: पदोन्नति की प्रक्रिया पद वार नियमावली में ही समाविष्ट की जाय।

2- पदों के चयन की प्रक्रिया पृथक-पृथक उल्लिखित की जाय।

3- गढ़वाल मण्डल विकास निगम तथा उ0प्र0 जल निगम के देहरादून स्थित कार्यालयों में यदि सेवा नियमावली विद्यमान है तो उक्त सेवा नियमावली

का भी अध्ययन करके एक संशोधित प्रारूप अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

(कार्यवाही कार्या0अधी0/सचिव)

<u>अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से अनुपूरक विषय क्रमांक:-01:-</u>

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में नई सड़कें बनाने तथा सेमी-डैंस कारपेट द्वारा सड़कों के ~~निर्माण के लिये~~ नवीनीकरण के लिये क्रमशः 20 लाख एवम् 25 लाख रू0 स्वीकृत करने के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये। इसके साथ ही जो विकास कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवम् जो इस समय निर्माणाधीन है उनका विस्तृत विवरण भी बैठक के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया। पूर्ण किये गये एवम् निर्माणाधीन सभी विकास कार्यों पर प्रस्तुत विवरण के अनुसार विचार किया गया। विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि निर्माणाधीन एवम् पूर्ण किये गये कार्यों को निम्नानुसार अनुमोदित किया जाता है/-

क्रमसं0	कार्य/स्थल का नाम	कार्य का नाम	ल0 मी0में	अनुमानित लागत लाख रू0 में।	लागत जिसमें कार्य पूर्ण हुआ।
1	2	3		4	5
1-	केवल विहार	सड़क/नाली	665	4.25	4.15
2-	चाय बाग	तदैव	260	0.79	0.76
3-	शक्ति कालोनी	तदैव	260	0.98	0.94
4-	चन्द्र लोक कालोनी	तदैव	270	0.98	0.80
5-	बल्लूपुर चकराता रोड़	तदैव	250	0.98	0.91
76-	विजय पार्क (एक्स)	तदैव	200	0.79	0.63
7-	राज विहार बंसत विहार	तदैव	415	0.53	0.51
8-	अजबपुरकलां	तदैव	665	3.38	2.40
9-	विजय कालोनी	तदैव	250	0.98	0.90
10-	नरेन्द्र विहार	सड़क/नाली	250	1.40	1.33
11-	सालावाला हाथीबडकलां	तदैव	250	1.19	1.10
12-	राम विहार बल्लूपुर	सड़क/नाली	250	0.98	0.76
13-	सुन्दर विहार(पंचवटी)	सड़क	140	0.56	0.44
14-	राजीव विहार	सड़क	250	1.00	0.87
15-	दून विहार (जाखन)	सड़क	370	1.17	1.12
16-	पंडितवाडी भूड एरिया	तदैव	390	0.86	0.78
17-	चाय बाग	सड़क/नाली	1100	3.36	3.31
18-	महेन्द्र विहार	सड़क	730	1.30	1.15
19-	आशीर्वाद बसन्त विहार	सड़क	475	1.03	0.85
20-	अजबपुर साकेत	सड़क/नाली	250	0.90	0.90
21-	नरेन्द्र विहार	सड़क	100	0.33	0.32
22-	ग्राम वाडी गार्ड	सड़क	840	4.08	3.94
23-	अजबपुरकलां	सड़क	100	0.23	0.22
24-	स्टेट बैंक कालोनी (मोहिनी रोड़)	सड़क	500	1.18	1.11

(2) सड़कों का सेमीडेंस कारपेटिंग पद्धति से पूर्ण हुये निर्माण :-

क्र0 सं0	सड़क का नाम	लम्बाई	लागत लाख रू0 में	अनुमानित लागत लाख रू0 में
1	2	3	4	5
1-	बलवीर रोड़	1950 मीटर	2.80	2.859
2-	म्यूनिसपल रोड़	1204 मीटर	1.50	1.531
3-	न्यू रोड़	1005 मीटर	3.03	3.093
4-	प्रीतम रोड़	1120 मीटर	1.55	2.142
5-	कर्जन रोड नेहरू रोड	1320 मीटर	2.10	0.510
6-	पार्क रोड व सरस्वती सोनी मार्ग	340 मीटर	0.50	0.857
7-	न्यू आराधर कालोनी	575 मीटर	0.84	
8-	विक्रमा कालोनी	375 मीटर	0.55	
		7889 मीटर	12.87	13.137

(3) निर्माणाधीन कार्यों की सूची :-

क्र0सं0	कार्य/स्थल का नाम	कार्य का नाम	अनुमानित लागत लाख रू0 में।
1-	अलबपुरकलां (फेज-2)	सड़क/नाली	2.39
2-	पंडितवाडी एरिया	सड़क	0.53
3-	जोहडी गांव में	सड़क	0.86
4-	ग्राम कांवली	सड़क/नाली	1.60
5-	महारानी बाग	सड़क	1.06
6-	विकासपुरम/मोहित नगर	सड़क	1006
7-	तरला अधोईवाला	सड़क	2.44
8-	बनस्थली	सड़क	1.35
9-	सुभार्ष नगर	सड़क	5.65
10-	आदर्श नगर (चकराता रोड़	सड़क	0.62
11-	विजय पार्क (एक्स)	सड़क	0006 1.87
12-	ग्रमा कारगी	सड़क	0.35

212

13-	आकाशदीप कालोनी	सड़क	1.15
14-	चन्द्रलोक कालोनी	सड़क मरम्मत	0.18
15-	आशीर्वाद एन्क्लेव	सड़क/नाली	5.50
16-	आदर्श नगर सरस्वती विहार	सड़क/नाली	2.13
17-	राजेन्द्र नगर गली नं0-19	सड़क	1.16
18-	मित्रलोक कालोनी	सड़क	1.11
19-	तेग बहादुर रोड़	सड़क	0.45
20-	शांति विहार	सड़क	1.18
21-	ग्राम पथरी बाग	सड़क/नाली	0.59
22-	भण्डारी बाग	सड़क/नाली	0.38
23-	कोलागढ़ ग्राम (सीताराम) मंदिर के पीछे)	सड़क	0.82
24-	केवल विहार	सड़क	0.53
25-	विकास लोक	सड़क	1.23
26-	भण्डारी बाग	सड़क	0.35
27-	अजबपुरकलां (माता मंदिर)	सड़क	0.55
28-	अजबपुरकलां (कुम्हार गली)	सड़क	0.47
29-	सुभाष नगर	सड़क	0.24
30-	टर्नर रोड़	सड़क/पुलिया	0.38
31-	सुमन नगर	सड़क	0.45
32-	प्रकाश विहार	सड़क/नाली	1.00
33-	चन्द्र लोक कालोनी	सड़क/नाली	2.80
34-	विजय पार्क (एक्स)	सड़क	0.66
35-	बसन्त विहार	सड़क	0.35
36-	मानसरोवर कालोनी	सड़क	0.47
37-	प्रगति विहार	सड़क/नाली	1.10
			46.41

विभिन्न क्षेत्रों में और नई सड़कें बनाने तथा सेमी डैंस कारपेटिंग द्वारा सड़कों के नवीनीकरण हेतु प्रस्तावित किये गये 20 लाख रूपये एवम् 25 लाख रूपये स्वीकृत करने के प्रस्ताव पर भी विचार विमर्श हुआ। बैठक को बताया गया कि नई सड़कों में 8 लाख रूपये ग्रामीण क्षेत्रों के लिये रखने का प्रस्ताव है। ये सड़कें ~~किस~~ किन-किन क्षेत्रों में बनाई जाय इसका निर्णय उनकी मांग के आधार पर तथा उसकी प्रथमिकता तय करने एवम् बनवाने हेतु उपाध्यक्ष को अधिकृत करने का प्रस्ताव है। विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित ~~की गयी~~ 20 लाख नई सड़कों के लिये एवम् 25 लाख सेमी डैंस कारपेटिंग से सड़कों के नवीनीकरण हेतु अनुमोदित किया जाता है। इसमें 8 लाख रू0 ग्रामीण क्षेत्रों पर खर्च किये जायेंगे। यह धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि सड़कों पर जो ~~xxxxxxxxx~~ धनराशि खर्च की जाय वह बजट में प्राविधानित हो और साथ ही प्राधिकरण के पास विकास व्यय मद में यह धनराशि उपलब्ध हो।

विविध:- अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

अध्यक्ष नगरपालिका देहरादून ने पैवेलियन में प्रस्तावित स्टेडियम के निर्माण और पैवेलियन के पीछे अनधिकृत रूप से बैठ रहे दुकानदारों को रैजर्स कालेज के पीछे शिफ्ट करने का प्रश्न उठाया । अध्यक्ष नगरपालिका देहरादून ने यह मत व्यक्त किया कि वर्तमान पैवेलियन का विस्तार स्टेडियम के रूप में न किया जाय बल्कि परेड ग्राउण्ड में ही जहां स्टेडियम का निर्माण प्रस्तावित किया था वहां पर स्टेडियम बनाया जाय। उन्होंने परेड ग्राउण्ड के एक कोने पर बस-स्टैण्ड शिफ्ट करने और रैजर्स कालेज के पीछे की ओर वर्तमान पैवेलियन से दुकानदारों को हटाकर वहां शिफ्ट करने का भी विरोध इस आधार पर किया कि ऐसा करने से परेड ग्राउण्ड के चारों ओर दुकानें बन जाने का भय है और परेड ग्राउण्ड का वर्तमान खुला स्वरूप नहीं रहेगा। उनके द्वारा प्रकट तर्क पर विचार किया गया। यह बताया गया कि स्टेडियम के निर्माण

का मामला बहुत समय से लम्बित चल रहा है और नगर में स्टेडियम की आवश्यकता को देखते हुये यह निर्णय लिया गया था कि वर्तमान पैवेलियन का ही स्टेडियम के रूप में विस्तार किया जाय। यह सामान्य सहमति थी कि यदि इस निर्णय पर फिर आपत्ति उठाई गयी तो नगर में स्टेडियम का निर्माण ही नहीं हो सकेगा। यह भी सामान्य सहमति थी कि वर्तमान पैवेलियन का स्टेडियम के रूप में विस्तार करने से पैवेलियन के पीछे बैठ रहे दुकानदारों को व पैवेलियन के एक किनारे पर वर्तमान बस स्टैण्ड को रैंजर्स कालेज के पीछे व परेड ग्राउण्ड के कौने में शिफ्ट करने के अलावा और कोई बिकल्प नहीं है। चूँकि परेड ग्राउण्ड यद्यपि बहुत बड़ा है अत: अभी से यह सम्भावना व्यक्त नहीं की जा सकती है कि परेड ग्राउण्ड के चारों ओर अनधिकृत दुकानें लग जायेगी। इसी प्रकार रैंजर्स कालेज के पीछे दुकानों को शिफ्ट करने से सैंटमैरी स्कूल को भी कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि इसका गेट इन दुकानों से काफी दूर हट कर है और यहां सड़क काफी चौड़ी है। अत: अध्यक्ष नगरपालिका देहरादून से यह अनुरोध किया गया कि वे स्टेडियम के निर्माण और पैवेलियन के पीछे से दुकानें व बस स्टैण्ड को शिफ्ट करने में अपना सहयोग प्रदान करें ताकि स्टेडियम का निर्माण शीघ्र हो जाय। अध्यक्ष नगरपालिका मसूरी की भी यही राय थी।

अध्यक्ष नगरपालिका द्वारा मसूरी के सौन्दर्यीकरण में वृद्धि के उद्देश्य से निम्नलिखित निर्माण कार्यों को प्रस्तावित किया और यह बताया गया कि राज्य मंत्री नगर विकास तथा शिक्षा श्री अजीत सिंह सेठी द्वारा भी मसूरी आगमन पर इन सौन्दर्यीकरण कार्यों पर जोर दिया गया:-

1- गांधी चौक पार्क का विस्तार	अनुमानित लागत	50 हजार रू0
2- माल रोड पैशन फैब्रिकेशन के सामने दून घाटी को देखने के लिये एक प्लैट फार्म का निर्माण।	अनुमानित लागत	80 हजार रू0
3- मसूरी में पर्यटकों को आकृषित करने के लिये माल रोड पर म्यूजिकल फाउण्टेन का निर्माण	अनुमानित लागत	03 लाख रू0
4- प्राधिकरण द्वारा निर्मित लायब्रेरी पार्किंग के पहले तल पर रैन बसेरा और शौचालयों का निर्माण।	अनुमानित लागत	2.50 लाख रू0

60

सर्व-सम्मति से यह निर्णय हुआ कि राजस्व परिषद से प्राप्त

धनराशि से अन्तर्गत उपरोक्त कार्यों को सम्पादित किया जाय।

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देते हुये बैठक समाप्त हुई।

सचिव		
﴾यू०डी०चौबे﴿	﴾प्रताप सिंह﴿	﴾एस०एस०पांगती﴿
सचिव,	उपाध्यक्ष,	अध्यक्ष,
मसूरी-देहरादून विकास	प्राधिकरण,	देहरादून।

विषय क्रमांक 04 के कार्यवाही करने के लिए विकास शुल्क बोर्ड के कोष ~~से~~ 34 अनुच्छेद 1, 2 तथा 3 को छोड़कर शेष कार्यवाही की पुष्टि की जाती है, इनके कोष में आगे से एजेंडा में चर्चा की जाय।

12.12.89